राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1867/2017..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स एबोट हैल्थकेयर प्रा0 लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत राज., जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2018	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 266/17–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 15.9.2017 से सृजित मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 9,12,874/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री संदीप सोगानी ने कथन किया कि उनके द्वारा उनके कमीशन एजेन्ट को माल भिजवाया गया था तथा कमीशन एजेन्ट द्वारा निर्धारित दर से कर का भुगतान किया जा चुका है एवं उसका कर निर्धारण भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर करदेयता का आक्षेप करते हुए मांग सृजित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उनके द्वारा विहित प्रारूप–वैट 36 भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रिंसिपल के रूप में कमीशन एजेन्ट को माल की सप्लाई की गई है, जिस पर करदेयता का दायित्व अपीलार्थी व्यवहारी का होता है, किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कोई कर वसूल कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1867/2017..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स एबोट हैल्थकेयर प्रा0 लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत राज., जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2018	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन के पश्चात् प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	